फार्म अहस्थान
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम पिण्डवाडा

श्री मेवालाल, पुत्र ... बनाम श्री ...
... काछोली
... 2 ...

किस्म मुकदमा..........

अंतर्गत धारा 212 RTA राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद सं. 10 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
7.5.18	यह राजस्व वाद वादी/वादीगण की ओर से प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 212 RTA राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अंतर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया गया हैं। वाद पत्र से न्यायालय प्रथम दृष्टिया सहमत होने से वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगणो को सम्मन जारी हो। पत्रावली आयन्दा वास्ते तामीली रिपोर्ट एवं जवाबदावा हेतु दिनांक 17.5.2018 को पेश हो।	611-612 7/5/1...
17-5-18	पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर के मध्य कोर्ट आदर्श सेवा केन्द्र काछोली मे प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित है। वादी ने कथन किया है कि उसके एक वाद उपखण्ड न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88,188 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है तथा उसमे दर्ज कथनों के आधार पर प्रतिवादीगणों को जीत सुनिश्चित है जब तक	पुर... Kaila... (...

उस वाद का निस्तारण न हो जाये तब तक मौजा काडोली के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 1340 रकबा 2 बिघा में प्रतिवादी संख्या एक बजात प्रवेश नही करे तथा अदालती को खुदबुर्द न करे तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के उपभोग उपयोग में कोई दखलन्दाजी न करे। प्रतिवादी संख्या एक पुरखाराम उपस्थित है जबकि प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रतिवादी सं. एक ने कथन किया की उक्त प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रतिवादी संख्या एक ने कथन किया कि उक्त भूमि उसके पिता भीकावर्द देवा को आवंटन हुई है। तथा नामान्तरण करवा के मेरा नाम आया है। प्रार्थीगणो का नाम जमाबंदी मे नही है। अतः प्रार्थीयो का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रार्थी उपस्थित भी नही है। तथा प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये है। जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो की भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर